



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹21,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई। ”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 245/2023 धारा-302,504 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गोविन्द सिंह पुत्र विजयबहादुर निवासी ग्राम देवगांव थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व ₹21,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी  
राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक-  
निरी० रामआसरे सरोज



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का० जगत सिंह